बिहार सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–05/स्था0(डी0टी0ओ0)–30/2013......../परि0 पटना, दिनांक........

जिलाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक–416 दिनांक–10.09.2015 द्वारा दी गयी सूचना के आलोक में परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–4703 दिनांक–21.09.2015 द्वारा श्री सत्य नारायण मंडल, बि0प्र0से0, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, किशनगंज को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया गया था।

जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक–60 दिनांक–10.02.2016 द्वारा श्री सत्य नारायण मंडल, बि0प्र0से0, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, किशनगंज के पंचायत चुनाव संबंधित कार्य–व्यस्तता तथा बिहार विधान सभा निर्वाचन, 2015 में अधिग्रहित वाहनों का ससमय मुआवजा भुगतान नहीं होने पर निर्वाचन आयोग द्वारा कारण–पृच्छा की मांग किये जाने के कारण उनके स्थान पर श्री मनीष कुमार, बिहार प्रशासनिक सेवा, वरीय उपसमाहर्त्ता, किशनगंज को जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज के पद का प्रभार दिया गया है तथा श्री कुमार को जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज की शक्ति प्रदत्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा की गयी उक्त स्थानीय व्यवस्था के आलोक में श्री मनीष कुमार, बि0प्र0से0, वरीय उपसमाहर्त्ता, किशनगंज को मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा–3 में निहित प्रावधानों के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

धित/ई–मेल ज्ञापांक – 05/स्था0(डी0टी0ओ0)–30/2013 1517 पटना, दिनांक 21/03/2016

प्रतिलिपिः– प्रभारी प्रदाधिकारी, ई.–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ(आई0 टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/संयुक्त आयुक्त–सह–क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णियाँ/श्री सत्य नारायण मंडल, बि0प्र0से0, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, किशनगंज/श्री मनीष कुमार, बि0प्र0से0, वरीय उपसमाहर्त्ता, किशनगंज/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक, किशनगंज/आई0 टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु/प्रभारी सहायक, स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.16

अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना